

विभाग का नाम :- खाद्य संरक्षा विभाग
 विभाग का पता :- आठवां तल, मयूर भवन
 क्लॉट प्लेस, नई दिल्ली. 110001

ताराकित/अताराकित प्रश्न संख्या :- 218-अताराकित

दिनांक:- 10.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम :-श्री प्रवीण कुमार

क्या उपमुख्यमंत्री/मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि :-

	प्रश्न	उत्तर
क	जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा कितने रेस्टोरेंट एवं दुकानों को वैद्य लाईसेंस दिया गया है, इसका विवरण क्या है,	जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा रेस्टोरेंट एवं दुकानों को अबतक खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत 657 वैद्य अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) जारी और 1743 पंजीकृत किए गए हैं।
ख	इस क्षेत्र में कितनी दुकानें एवं रेस्टोरेंट बिना लाईसेंस के चल रही हैं एवं उनपर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है,	इस विभाग में खाद्य संरक्षा अधिकारी की अपर्याप्त संख्या होने के कारण, बिना खाद्य संरक्षा लाईसेंस से चलने वाले दुकानों एवं रेस्टोरेंट की सांख्यिक सर्वे नहीं हुआ है। परन्तु विभाग द्वारा, बिना लाईसेंस के दुकानों एवं रेस्टोरेंटों को लाईसेंस/पंजीकरण के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।
ग	अभी तक मिठाई की कितनी दुकानों पर मिलावटी सामग्री उपयोग करने के जुर्म में कार्रवाई की गई है, और	उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में मिठाई की दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं, परन्तु पिछले तीन साल में मिलावटी सामग्री नहीं मिलने पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।
घ	जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे मामलों को देख रहे अधिकारियों के कंटेक्ट डिटेल्स क्या है ?	खाद्य संरक्षा उपायुक्त-23413490